

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL
5, SHAM NATH MARG DELHI

No. F.11/1734/DC/PC/VS/2022/ 8/8

Dated: 22.03.2022

To

The Dy. Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Secretariat,
Old Secretariat Delhi-110054

**Sub: Reply to Vidhan Sabha Unstarred Question No. 47 fixed for 24.03.2022 raised by
Hon'ble MLA Sh. Prakash Jarwal.**

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 copies of the reply in respect of above said question for further necessary action at you end.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Encls : As above.

Yours faithfully,



(Sharad Kumar)

Sub Divisional Magistrate-III (HQ)

SHARAD KUMAR

Sub-Divisional Magistrate (HC)

Govt. of NCT of Delhi

5, Sham Nath Marg, Delhi-54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 47

राजस्व विभाग

दिनांक 24.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या खसरा नं० 25, ग्राम देवली-बिस्वा 31, 2 बीघा ग्राम सभा (राजस्व) की भूमि है;	ग्राम देवली में, हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 के अनुसार (खतौनी वर्ष 1985-86) खसरा नं० 25 का राजस्व रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शहरी विकास विभाग अधिसूचना, दिनांक 20.11.2019 (अधिसूचना की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है) को ग्राम देवली को ग्रामीण क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया है तथा इस गांव के क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के रूप में मान्यता दे दी गई है। शेष भूमि उपरोक्त ग्राम में (निजि) मलकियत की भूमि है।
ख)	क्या यह जमीन अभी भी राजस्व विभाग के पास है या डीडीए को हस्तांतरित कर दी गई है;	जो भी राजस्व विभाग की ग्राम सभा की भूमि देवली ग्राम में थी उपरोक्त अधिसूचना आने के बाद उसमें से 1000 वर्ग मीटर भूमि एसडीएमसी को Fixed Compactor Transfer Station बनाने हेतु दिनांक 12.10.2019 को आवंटित की जा चुकी है, जिस पर एसडीएमसी का कब्जा है तथा बाकि की ग्राम सभा भूमि को उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 20.11.2019 के अनुसार डीडीए को यथास्थिति (ज्यों की त्यों) दिनांक 19.02.2021 को हस्तांतरित किया जा चुका है।
ग)	क्या इस भूमि पर गौशाला, पुस्तकालय या किसी अन्य जनोपयोगी उपयोगिता को विकसित करने का कोई प्रावधान-प्रस्ताव है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
घ)	क्या पीएम उदय के तहत ग्राम सभा की जमीन निजी व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है और अगर गलत तरीके से हस्तांतरित कर दी गई हो तो क्या कार्यवाई की जाती है; और	पीएम उदय योजना अनाधिकृत कालोनी से संबंधित योजना है जो कि डीडीए विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
ङ	अतिक्रमित राजस्व भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है?	उपरोक्त (ख) के अनुसार।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।



(शरद कुमार)

उपमण्डलीय दण्डाधिकारी-3 (मु०)

SHARAD KUMAR

Sub-Divisional Magistrate (H.O.)

Govt. of NCT of Delhi

5, Sham Nath Marg, Delhi-5.

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजापत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

दिल्ली, बृहस्पतिवार नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 299

No. 324]

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

[N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

सं.फा.7(128)/डीएलबी/2019/000580156/14600-15.-दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित गाँव के क्षेत्रों तथा कॉलम 1 में उल्लिखित राजस्व सम्पदा/जोन जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के भाग हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से हटाया जाएगा और अब उन्हें शहरी क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम - 31 गाँव	शहरीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण
01	02	03	04
उत्तर-पश्चिम	01	कुतुब गढ़	गाँवों की पुरानी अबादी के साथ-साथ पूरे राजस्व सम्पदा को शहरी घोषित किया जाता है।
	02	जीनली	-वही-
	03	गढ़ी सिंघाला	-वही-
	04	पंजाब खोड़	-वही-
	05	पूडकला	-वही-
	06	गुबारकपुर	-वही-
	07	निठारी	-वही-
	08	वेगमपुर	-वही-

उत्तर	09	होलम्बी कलां	-वही-
	10	हरेवली	-वही-
	11	नरेला मामुरपुर	-वही-
	12	पनसाली	-वही-
	13	मामुरपुर	-वही-
	14	सगौठ	-वही-
	15	बरवाला	-वही-
	16	नरेला	-वही-
	17	लामपुर	-वही-
	18	नरेला बाकनेर	-वही-
	19	बाकनेर	-वही-
	20	कुरैनी	-वही-
	21	शाहबाद दौलतपुर	-वही-
	22	प्रहलादपुर बांगर	-वही-
	23	भोरगढ़	-वही-
	24	झंगोला	-वही-
	25	हिरनकी	-वही-
	26	बख्तावरपुर	-वही-
	27	घोघा	-वही-
	28	सिंधु	-वही-
	29	होलम्बी खुर्द	-वही-
	30	खेड़ा कलां	-वही-
पश्चिम	31	टिकरी कलां	-वही-
		दक्षिण दिल्ली नगर निगम - 29 गांव	
दक्षिण	32	दियोली	-वही-
	33	छतरपुर	-वही-
	34	सैदुल्लाजाव	-वही-
	35	राजपुर खुर्द	-वही-
	36	मैदान गढ़ी	-वही-
	37	सतबारी	-वही-
	38	शहुरपुर	-वही-
	39	गडईपुर	-वही-
	40	आया नगर	-वही-
	41	जोनपुरा	-वही-
	42	डेरा मंडी	-वही-
	43	भाटी	-वही-
	44	सुल्तानपुर	-वही-
	45	असोला	-वही-
दक्षिण - पूर्व	46	पूल पहलादपुर	-वही-
	47	जैतपुर	-वही-
	48	ताजपुर	-वही-
	49	मीठापुर	-वही-
	50	मोलारबंद	-वही-
	51	आली	-वही-
	52	कोटला माहीग्राम	-वही-
दक्षिण - पश्चिम	53	झड़ादा कलां	-वही-
	54	कापसहेड़ा	-वही-
	55	मितराउ	-वही-
	56	सालारपुर	-वही-
नई दिल्ली	57	रंगपुरी	-वही-
	58	रजौकरी	-वही-
	59	समालखा	-वही-
	60	गिठारनी	-वही-
		पूर्वी दिल्ली नगर निगम - 19 गांव	

उत्तर - पूर्व	61	गुरुताफाबाद	-वही-
	62	गोकुलपुर	-वही-
	63	जियाउददीनपुर	-वही-
	64	सभापुर शाहदरा	-वही-
	65	करावल नगर	-वही-
	66	जौहरीपुर	-वही-
	67	सादतपुर	-वही-
	68	बिहारीपुर	-वही-
	69	खजुरी खारा	-वही-
	70	भीरपुर तुर्क	-वही-
	71	गढी मंडु	-वही-
शाहदरा	72	बाबरपुर	-वही-
	73	मंडोली	-वही-
पूर्व	74	समसपुर जागीर	-वही-
	75	चिल्ला सरोदा बांगर	-वही-
	76	दलपुरा	-वही-
	77	घड़ोली	-वही-
	78	घरोड़ा नाम का बांगर	-वही-
	79	कौडली	-वही-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
अनिल धिल्लियाल, उप सचिव (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2019

No. F7(128)/DLB/2019/000580156/14600-15.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 507 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the areas of villages mentioned in column 3 of the Schedule below and falling in the revenue estate/District mentioned in column 1, hitherto part of the rural areas, shall, cease to be the rural areas and shall be deemed as Urban areas, namely:-

SCHEDULE

Name of District	Sl. No.	Name of Villages - North DMC - 31 Villages	Particular of the Area proposed to be Urbanised
1	2	3	4
North West	1.	Qutubgarh	The old Abadis as well as the entire Revenue Estate of the said village declared as urban
	2.	Jaunti	-do-
	3.	Garhi Rindhala	-do-
	4.	Punjab Khor	-do-
	5.	Pooth Kalan	-do-
	6.	Mubarakpur	-do-
	7.	Nithari	-do-
	8.	Begampur	-do-
North	9.	Holambi Kalan	-do-
	10.	Harewali	-do-
	11.	Narela Mamurpur	-do-
	12.	Pansali	-do-
	13.	Mamurpur	-do-
	14.	Sannothe	-do-
	15.	Barwala	-do-
	16.	Narela	-do-
	17.	Lampur	-do-

	18.	Narela Bankner	
	19.	Bankner	-do-
	20.	Kureni	-do-
	21.	Shahbad Daulatpur	-do-
	22.	Prahladpur Bangar	-do-
	23.	Bhorgarh	-do-
	24.	Jhangola	-do-
	25.	Hiranki	-do-
	26.	Bakhtawarpur	-do-
	27.	Ghoga	-do-
	28.	Singhu	-do-
	29.	Holmbi Khurd	-do-
	30.	Khera Kalan	-do-
West	31.	Tikri Kalan	-do-
		South DMC - 29 Villages	
South	32.	Deoli	-do-
	33.	Chattarpur	-do-
	34.	Saidullajab	-do-
	35.	Rajpur Khurd	-do-
	36.	Maidan Garhi	-do-
	37.	Satbari	-do-
	38.	Sahoorpur	-do-
	39.	Gadaipur	-do-
	40.	Aya Nagar	-do-
	41.	Jonapur	-do-
	42.	Dera Mandi	-do-
	43.	Bhati	-do-
	44.	Sultanpur	-do-
	45.	Asola	-do-
South East	46.	Pul Pehlad Pur	-do-
	47.	Jaitpur	-do-
	48.	Tajpur	-do-
	49.	Meethapur	-do-
	50.	Molarband	-do-
	51.	Aali	-do-
	52.	Kotla Mahigram	-do-
South West	53.	Jharoda Kalan	-do-
	54.	Kapashera	-do-
	55.	Mitraon	-do-
	56.	Salarpur	-do-
New Delhi	57.	Rangpuri	-do-
	58.	Rajokari	-do-
	59.	Samalkha	-do-
	60.	Ghitorni	-do-
		East DMC - 19 Villages	
North East	61.	Mustafabad	-do-
	62.	Gokulpur	-do-
	63.	Ziauddinpur	-do-
	64.	Sabhapur Shahdara	-do-
	65.	Karawal Nagar	-do-
	66.	Johripur	-do-
	67.	Sadatpur	-do-
	68.	Biharipur	-do-
	69.	Khajuri Khas	-do-
	70.	Mirpur Turk	-do-
	71.	Garhi Mendu	-do-
Shahdara	72.	Babarpur	-do-

East	73.	Mandoli	-do-
	74.	Samaspur Jagir	-do-
	75.	Chilla Saroda Bangar	-do-
	76.	Dallupura	-do-
	77.	Gharoli	-do-
	78.	Gharonda Neem ka Bangar	-do-
	79.	Kondali	-do-

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

ANIL GHILDIYAL, Dy. Director (Local Bodies)